न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2021

1. उगमा पुत्र भंवरा माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. छोगा पुत्र छोटू माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. तुलसी पुत्री रामदेव माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. भंवरी पत्नि रामदेव माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. भंवरी पत्नि भंवरा माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. रोडू पुत्र छोटू माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. शंकर पुत्र भंवरा माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. रतना पुत्र धन्ना माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र नारायण माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. विश्राम पुत्र नारायण माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासी बजरंग कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. राधाकिशन पुत्र सूरजमल माली निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 15/09/2021

उपस्थितः श्री चालक सिंह — प्रार्थीगण अभिभाषक

श्री रामदेव गुर्जर — अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री चालक सिंह बारहठ के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 से 3 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 1743 रकबा 1.8769 हैक्टेयर भूमि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में सभी सह खातेदार राजस्व पत्रों में अंकित हिस्सेनुसार काश्त करते आ रहे है किन्तु उक्त भूमि का स्थायी विभाजन नहीं किया गया है जिसके कारण हर वर्ष भूमि के सीमांकन नाप चौप एवं आवागमन के रास्ते को लेकर विवाद होता रहता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

है। जिसमें प्रमुख रूप से विवाद करने वाले अप्रार्थी सं0 1 से 3 है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1743 की पश्चिमी मेड के सहारे चांडोलाई तालाब पर जाने का रास्ता है जिसे सभी सह हिस्सेदार सदैव से उपयोग करते आये है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 इस रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न कर प्रार्थीगण की भूमि जो सह हिस्सेदारी की भूमि है के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने को उद्यत है। वाद कारण दिनांक 23.06.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी सं0 1 से 3 द्वारा वर्षाकाल से पूर्व प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से अपने खेतों की बुवाई करने हेतु नहीं जाने की धमकी दी। विधिनुसार संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का जब तक स्थायी विभाजन न हो तब तक हर इंच भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का कब्जा माना जाता है तथा किसी भी सह हिस्सेदार को भूमि के उपयोग में बाधा डालने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता। अप्रार्थी सं0 1 से 3 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के उपयोग में अवैध रूप से बाधा उत्पन्न करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि आये दिन के विवाद से बचने हेतु वाद विषय की भूमि का स्थायी विभाजन **By Metus and Bounds** न्यायालय की डिक्री से करवा ले। अप्रार्थी सं0 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण को सयुंक्त खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से यदि वंचित कर दिया गया तो प्रार्थीगण को ऐसी असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रकम में किया जाना असंभव होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 द्वारा यदि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न करे तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी सं0 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 से 3 स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य नौकर चाकर अथवा अभिकर्ता प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न ना करे।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह **(Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4)** के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई।

3.1 अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में जो 53 का वाद प्रस्तुत किया गया है वह केवल मात्र अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से किया गया है चूंकि उपरोक्त वाद में वर्णित पक्षकारगण/सहखातेदारों की एक अन्य आराजी ख0नं0 1773 व 1744 है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर प्रार्थीगण सद्भाविक होते या वास्तव में विभाजन करवाने की नियत होती तो उपरोक्त वर्णित आराजी ख0नं0 1773 व 1744 की आराजी बाबत् भी वाद प्रसतुत किया जाता परन्तु प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र जवाबकर्ता/अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण के मध्य पारिवारिक सेटलमेन्ट अनुसार बंटवारा हो रखा है जिसमें अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण द्वारा अपने हिस्से की आराजी में अथाह आर्थिक व शारिरिक परिश्रम करके, उपजाऊ मिट्टी डालकर अधिक उपजाऊ योग्य बनाई है। प्रार्थीगण को अपने हिस्से में आने जाने के लिये 15 फीट का रास्ता भी है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा बदनियती पूर्वक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि "जहां पारिवारिक बंटवारा एवं जुबानी बंटवारा हो जाता है तो वह ही अन्तिम माना जाता है।" इसी परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय प्रतिपादित किया गया है कि "**RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955-Section 211 – Suit by Co-sharers – When both the parties have already entered into oral & written partition of the total ladn and each of them are having independent cultivation on their part of lands**" इसी प्रकार वाद वर्णित आराजी में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमती पूर्वक विभाजन तहरीर निष्पादित करके मौके पर रास्ता प्रार्थीगण को प्रदत्त कर दिया गया है एवं अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त जिनकी अपने–अपने हिस्से में मेड व मिट्टी की डोल कायम है। प्रार्थीगण के विरूद्ध Estopal सिद्धान्त लागू होता है चूंकि सह खातेदारों द्वारा मौके पर विभाजन करके रास्ता प्रदत्त कर दिया गया तत्पश्चात् न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण के मध्य दिनांक 12.06.2021 को रास्ते बाबत् सहमती हुई जो माली समाज व गांव के मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा आपस में बैठकर फैसला लिया गया कि प्रार्थीगण को आने–जाने के लिए 15 फीट का रास्ता अप्रार्थी सं0 1 की आराजी में से दिया गया है जो आज भी मौके पर प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को आने–जाने में बाधा कारित नहीं की गई है एवं अपने पूर्वाधिकारियों के समय से ही जुबानी बंटवारा करके काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूंकि उपरोक्त आराजी बैंक ऑफ इण्डिया के समक्ष रहन दर्ज है जिसे पक्षकार कायम नहीं किया गया है जो धारा 211

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

के तहत् सही सह खातेदारों को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा आनन–फानन में वाद प्रस्तुत किया गया है चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 12.06.2021 को सहमती हुई एवं उसके कुछ दिन बाद ही प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि **"Suit can be dismissed for non-joinder of necessary party"** इस प्रकार प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया की खारिज होने योग्य है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक पक्षकार तहसीलदार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं विधि के अनुसार जो वाद में पक्षकार है उसी अनुसार धारा 212 में पक्षकार बनाना आवश्यक है जबकि केवल मात्र 3 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 212 पेश की गई है जिसका किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है, सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन प्रदान नहीं किया जा सकता है। जवाबकर्तागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न नजीरे :– 1. आर0बी0जे0 2003 (10) पेज नं0 497 रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ टी0आई0 नहीं दी जा सकती, रिकार्डेड खातेदार का टी0आई0 से बेदखल नहीं कर सकते, 2. आर0आर0टी0 2006(1) पेज नं0 623, 3. आर0आर0टी0 2006(1) पेज नं0 410 नो टी0आई0 ग्रान्टेड अन्गेस्ट खातेदार, 4. आर0आर0टी0 2006 पेज नं0 368 सपलिमेन्ट्री, 5. आर0आर0डी0 1997 पेज नं0 30 नो टेमपरेली इन्जेशन इन रिकार्डेड खातेदार, 6. आर0आर0डी0 1998 पेज नं0 79 इनजेशन **issued not to alienate**, व 7. आर0बी0जे0 2004 (11) पेज नं0 270 खातेदार के खिलाफ टी0आई0 नहीं दी जा सकती, पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण को मौके से बेदखल कर देंगे तो अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज योग्य है।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में सभी सह खातेदार राजस्व पत्रों में अंकित हिस्सेनुसार काश्त करते आ रहे है किन्तु उक्त भूमि का स्थायी विभाजन नहीं किया गया है जिसके कारण हर वर्ष भूमि के सीमांकन नाप चौप एवं आवागमन के रास्ते को लेकर विवाद होता रहता है। वाद कारण दिनांक 23.06.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी सं0 1 से 3 द्वारा वर्षाकाल से पूर्व प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1743 के पश्चिमी मेड के सहारे स्थित चांडोलाई तालाब पर जाने का रास्ता जिससे वादग्रस्त भूमि में आवागमन होता है से अपने खेतों की बुवाई करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

नहीं जाने की धमकी दी। विधिनुसार संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का जब तक स्थायी विभाजन न हो तब तक हर इंच भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का कब्जा माना जाता है तथा किसी भी सह हिस्सेदार को भूमि के उपयोग में बाधा डालने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 द्वारा यदि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न करे तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी सं0 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 से 3 स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य नौकर चाकर अथवा अभिकर्ता प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न ना करे।

4.2 वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त वाद में वर्णित पक्षकारगण/सहखातेदारें की एक अन्य आराजी ख0नं0 1773 व 1744 है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर प्रार्थीगण सद्भाविक होते या वास्तव में विभाजन करवाने की नियत होती तो उपरोक्त वर्णित आराजी ख0नं0 1773 व 1744 की आराजी बाबत् भी वाद प्रसतुत किया जाता परन्तु प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र जवाबकर्ता/अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण के मध्य पारिवारिक सेटलमेन्ट अनुसार बंटवारा हो रखा है एवं प्रार्थीगण को अपने हिस्से में आने जाने के लिये 15 फीट का रास्ता भी है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा बदनियती पूर्वक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण के मध्य दिनांक 12.06.2021 को रास्ते बाबत् सहमती हुई जो माली समाज व गांव के मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा आपस में बैठकर फैसला लिया गया कि प्रार्थीगण को आने–जाने के लिए 15 फीट का रास्ता अप्रार्थी सं0 1 की आराजी में से दिया गया है जो आज भी मौके पर प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक पक्षकार तहसीलदार एवं बैंक ऑफ इण्डिया को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं विधि के अनुसार जो वाद में पक्षकार है उसी अनुसार धारा 212 में पक्षकार बनाना आवश्यक है जबकि केवल मात्र 3 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 212 पेश की गई है जिसका किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है, सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन प्रदान नहीं किया जा सकता है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण को मौके से बेदखल कर देंगे तो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज योग्य है।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया।

न्यायालय हाजा का अभिमत है कि ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1743 रकबा 1.8769 हैक्टेयर भूमि के विचाराधीन मूल राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे उचित प्रतीत होता है ताकि वाद बाहुलता ना बढ़े।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1743 रकबा 1.8769 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं एक दूसरे के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)